

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11736/3/30

दिनांक :- 14/03/2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश गर्ग [लिंक न. 11736] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जोधपुर - [1322] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत चिकित्सा प्रत्यक्ष-पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/01/2019 से 17/01/2019 तक 17 दिवस

कुल 17 दिवस

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश गर्ग की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11736/3/30

दिनांक :- 14/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जोधपुर
2. अध्यापिका जोधपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश गर्ग [11736] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जोधपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. ☒ निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)